जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनॉक 18.09.2024

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की 02 अदद मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 19.01.2024 को वादी राहुल सोनी पुत्र कमलेश वर्मा निवासी नगरपंचायत बखिरा वार्ड नं0 02 थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा सूचना दिया गया कि घर के बाहर से उनकी मोटरसाइकिल अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0021/2024 धारा 379 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण के निर्देश के क्रम में थाना बखिरा पुलिस द्वारा 02 अदद चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त अभियुक्त आलमगीर पुत्र विस्मिल्लाह निवासी ग्राम हरदी थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर को हरदी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

आलमगीर पुत्र विस्मिल्लाह निवासी ग्राम हरदी थाना बखिरा जनपद सन्तकबीरनगर।

बरामदगी-

1- 01 अदद टीवीएस स्पोर्ट मोटरसाइकिल (रजि0नं0 यू0पी058पी 0858)।

2- 01 अदद सुपरस्पलेण्डर मोटरसाइकिल (रजि0नं0 यू0पी0 58एल 1816)।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 21/2024 धारा 379/411/419/420/467/468/471 भादवि0 थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि कस्बा बखिरा के पंचायत भवन के पास से टीवीएस मोटरसाइकिल रजि0नं0 यू0पी058पी 0858 को चोरी कर लिया था तथा इससे पहले भी एक मोटरसाइकिल सुपर स्पलेण्डर मोटरसाइकिल गाड़ी बेणी माधव इण्टर कॉलेज के पास स्थित किराने की दुकान के सामने से चोरी कर अपने घर पर रखा है जिसे अभियुक्त की निशानदेही पर घर से बरामद किया गया जिसका नम्बर प्लेट बदल दिया गया है। रजिस्ट्रेशन नम्बर बदलने के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि सुपर स्पलेण्डर मोटरसाइकिल गाडी नं0 UP58L1816 पर फर्जी नम्बर प्लेट UP53AL1816 लगा दिया था जिससे कि कोई कस्बा बखिरा और आस पास के लोग जान न सके।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल– उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र यादव, हे0का0 सन्तोष गुप्ता, का0 आलोक यादव।

जनपद – संतकबीरनगर*   *प्रेस विज्ञप्ति*   *दिनाँक 18.09.2024

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी / जालसाजी के मामले में 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री केशवनाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मेहदावल ***श्री रामकृपाल सिंह*** द्वारा गठित टीम द्वारा थाना मेहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 191/2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त चन्द्रशेखर चौधरी पुत्रराममिलन निवासी सियांवनानकार थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर को आज दिनांक 18.09.2024 को ब्लाक मेहदावल सोरनवरसा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार के आदेशों का अक्षरः पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता-

1. चन्द्रशेखर चौधरी पुत्र राममिलन निवासी सियांवनानकार थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तारी करने वाली टीम का नाम

उ0नि0 श्री सत्येन्द्र यादव, हे0का0 पप्पू सिंह, का0 धीरेन्द्र प्रताप सिंह।

जनपद-संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 18.09.2024

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 03 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र*** हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 18.09.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 03 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 03 कैमरे लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 18.09.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5997 द्वारा सड़क मार्ग दुर्घटना में दो बाईक अनियंत्रित होकर आपस में टक्करा जाने के कारण घायल 02 व्यक्तियों को इलाज हेतु भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5997 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत लोहरौली बाजार से इवेन्ट संख्या 32273 से कालर द्वारा सड़क मार्ग दुर्घटना में दो बाईक अनियंत्रित होकर आपस में टक्करा जाने के कारण 02 व्यक्तियों (1- मो0 रजा पुत्र नाथू, 2- अख्तरी खातून पत्नी मो0 रजा, ग्राम दुर्गजोत, थाना दुधारा संतकबीरनगर) के गम्भीर रूप से घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु निजी वाहन की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को इलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ- आ0 भरत कुमार सोनी, आ0 इन्द्रजीत वर्मा, हो0चा0 सुरजीत कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 43 वाहनों से 48,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 18.09.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 43 वाहनों से 48,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 18.09.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप स्त्री की लज्जाभंग करने के मामलें में 01 अभियुक्त को 05 वर्ष सश्रम कारावास व 5,500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनाँक 18.09.2024 को ***न्यायालय – ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट, जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना महुली*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 408/017 धारा 323,504,506, 354बी भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता सन्तराम पुत्र रामप्यारे निवासी टिकुई कोल चौबे थाना महुली जनपद संतकबीरनगर अभि0 संतराम को मु0अ0सं0 408/17 थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के मामले में आरोप अन्तर्गत धारा 323, 354बी भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध किया जाता है परन्तु अभि0 को अन्तर्गत धारा 504, 506 भादवि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभि0 जमानत पर है। जमानतदारों की जमानतनामें व अभि0 के बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं, अभि0 संतराम को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। अभि0 को धारा 354बी भादवि के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। अभि0 को धारा 323 भादवि के तहत 06 माह का सश्रम कारावास व 500रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 31 सीआरपीसी के तहत दोषसिद्ध की उपर्युक्त सजायें साथ साथ चलेंगी, धारा 428 सीआरपीसी के तहत दोषसिद्ध के द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि को इस मामले की अवधि से मुजरा किया जायेगा।